

# उपायुक्त का कार्यालय (कल्याण शाखा)

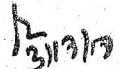
हजारीबाग जिला के चौपारण अंचल अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना निर्माण कार्य हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल) वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत सड़क निर्माण योजना से संबंधित हस्तांतरण के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र।

गैरमजरूआ, जंगल Deemed Forest भूमि (जंगल) भूमि जो जिला हजारीबाग अंचल-चौपारण के अन्तर्गत निम्नांकित भूमि का अनापत्ति प्रमाण निर्गत किया जाना है।

| अंचल का नाम | योजना का नाम                  | वन प्रमण्डल | थाना नं० | खाता नं० | प्लॉट नं०                              | ग्राम का नाम | रकबा (Acre)                                  | भूमि का प्रकार     |
|-------------|-------------------------------|-------------|----------|----------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------|
| चौपारण      | प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना | वन प्रमण्डल | 16       | 2        | 2<br>10                                | कोठेडुमर     | 0.44<br>0.09                                 | गैर मजरूआ खास जंगल |
|             |                               |             | 15       | 1        | 140<br>143<br>146<br>147<br>148<br>149 | गरमोरवा      | 0.06<br>0.39<br>0.40<br>0.52<br>0.02<br>0.35 |                    |
|             |                               |             | 14       | 15       | 12<br>13<br>69<br>70<br>71             | सांझा        | 0.03<br>0.96<br>0.50<br>0.22<br>0.44         |                    |
|             |                               |             |          |          |                                        | कुल          | 4.42 ए०<br>(1.7894 हे०)                      |                    |

उपरोक्त भूमि जंगल (Deemed Forest) है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्य के लिए भूमि अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर दी जाती है कि:-

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रायोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेंगे।
- पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात आवश्यकतानुसार उक्त भूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रायोक्ता ऐजेन्सी द्वारा जिला में प्रस्ताव समर्पित किया जायगा।

  
उपायुक्त,  
हजारीबाग।

- ज्ञापाक ..12.5...../क०, ह०बाग, दिनांक ..५.११.१/2018
- प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, राज्सव एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, उतरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सादर सूचनार्थ।
- प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, चौपारण को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी NIC, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा०) कार्य प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
उपायुक्त,  
हजारीबाग।